न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.
प्रकरण संख्या :– 03/2024 **GCMS No. 2025/15**
परिवादी :–

1. श्री गणपतराम जाट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री रामस्वरूप अग्रवाल पुत्र श्री पूरण मल अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक
   मैसर्स – श्री कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, मेवलिया बड़ मकराना
   निवासी– मेवलिया बड, मकराना
2. श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री रामेश चन्द खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक
   मैसर्स – गुलाब ट्रेडर्स, ग्राम पोखरावाला, दौहलतपुरा, तह. आमेर, दिल्ली बाईपास जयपुर
   निवासी– बी–13, शांति नगर, गुर्जर की थडी, सांगानेर रोड के पास जयपुर।

" परिवाद अन्तर्गत धारा 54 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 '

उपस्थिति :– ।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/12/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री गणपतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.03.2024 को समय 06.00 P.M. पर मैसर्स श्री कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, मेवलिया बड़ मकराना पर पहुंचा। वहां पर श्री रामस्वरूप अग्रवाल मिले। श्री रामस्वरूप अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री रामस्वरूप अग्रवाल ने स्वयं को श्री कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, मेवलिया बड़ मकराना का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा–पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन व स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध धनिया पाउडर (पिंक महल) एक प्लास्टिक कट्टे मे 500–500 ग्राम के 60 सिल्ड पैक पैकेट रखे है के मिथ्याछाप/अमानक का शक होने पर 500–500 ग्राम के 4 सिल्ड पैक पैकेट धनिया पाउडर (पिंक महल) खाद्याकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री रामस्वरूप अग्रवाल को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जॉच खरीदा। जिसकी कीमत श्री रामस्वरूप अग्रवाल को 280/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. **5 ए** की प्रतियॉ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री दिलीप पारीक एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. **5 ए** की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री रामस्वरूप अग्रवाल को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पाउडर (पिंक महल) 4 सिल्ड पैक पैकेट पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ.नागौर के कोड एवं क्रमांक O 2820 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा [illegible] के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट [illegible] प[illegible] आग [illegible] डी.ओ.नागौर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. Q-2829 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक/एफएसएसए/जारि/2024/281 दिनॉक 24.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. **L.S./220/Act/2024/245** दिनांक 18.03. **2024** के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (पिंक महल) का नमूना Food containing Extraeours Matter होना पाया गया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री रामस्वरूप अग्रवाल व अन्य ने खाद्य धनिया पाउडर (पिंक महल) Food containing Extraeours Matter का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा **3(1)(i)** [Food containing Extraeours Matter under Section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act-2006 due to presence of Turmeric powder], धारा 26(2)(ii) का अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में अभियोजन संस्थित करने की करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 54 के अन्तर्गत निहित है।

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की पुश्त पर मुख्य खाद्य विश्लेषक की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा–पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनॉक 03.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। अभि[illegible] खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक व अन्य को जरिये नोटिस तलब किया गया। श्री रा[illegible]ग्रवाल नोटिस तामिल होकर प्राप्त बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से [illegible] है।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोक[illegible] Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के FORM- VII [illegible]पोर्ट नं.L.S./220/Act/2024/245

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

दिनांक 18.03.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट अजमेर का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of **Dhania Powder** bearing Code No. and Sr. No. **Q-2829** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, nagaur food containing Extraneous Matter under section 3(1)(i) of food safety and Standard Act-2006 due to presence of turmeric powder.

अतः खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री रामस्वरूप अग्रवाल मैसर्स श्री कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, मेवलिया बड़ मकराना से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (पिंक महल) नमूना नं. **Q-2829** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड **Q-2829** वाले धनिया पाउडर (पिंक महल) के नमूने में जो खाद्य नमूना खाद्य सुरक्षा मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के वनियम संख्या 2.3.7.(2) का उल्लंघन करता है। F.S.S.A. 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 54 में निर्धारित है।

क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नही है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 54 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) एंव 54 इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का :–(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंधन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा 54

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए ऐसे किसी खाद्य वस्तु जिसमें बाह्य पदार्थ अन्तर्विष्ट है, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो एक लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार धनिया पाउडर (पिंक महल) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री श्री रामस्वरूप अग्रवाल मैसर्स श्री कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, मेवलिया बड़ मकराना व अन्य दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 54 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) [illegible] दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मा[illegible]नियम 2006 की धारा 54 के तहत अभियुक्त श्री रामस्वरूप अग्रवाल [illegible] मेवलिया बड़ मकराना, श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री रामेश चन्द [illegible] कारोबारकर्ता [illegible] मालिक मैसर्स – गुलाब ट्रेडर्स, ग्राम पोखरावाला, दौहलतपुरा, तह. [illegible] राशि रुपये प्रत्येक पर 5000/–(अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति [illegible] पित की जाती है। आदेश की प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश आज दिनांक 18/12/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:24 IST
Reason: SelfAttested